तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व वाद/आवेदन संख्या 105/18 बनाम [illegible] / [illegible]

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र/पंचायत घर जालीपा पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 25-5-18 को अटल सेवा केन्द्र/पंचायत घर जालीपा पर पत्रावली पेश हो।

सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाड़मेर

25.05.2018

यह पत्रावली अटल सेवा केन्द्र जालीपा मुख्यालय पर पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 16 उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण अनुपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। प्रार्थी ने भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111, 128 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया। अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 299/131 रकबा 39.12 बीघा, खसरा संख्या 163/129 रकबा 04.08 बीघा भूमि ग्राम चक धोलका पटवार क्षैत्र जालीपा के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

अतः खेत खसरा नम्बर 299/131 रकबा 39.12 बीघा, खसरा संख्या 163/129 रकबा 04.08 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी,
(एसडीओ) बाडमेर

Scanned by CamScanner